

न्यायालय श्रीमान् मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा  
(म0प्र0)



-20/-  
Rs. 10/-

मुनीन्द्र प्रसाद द्विवेदी तनय कौशल प्रसाद द्विवेदी निवासी ग्राम  
कपुरी पवाई तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी (म0प्र0)

R5374-II/16

-----आवेदक

बनाम्

सीमा प्रसाद तनय यदुनाथ प्रसाद निवासी ग्राम कपुरी पवाई  
तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी (म0प्र0) -----अनावेदक

अधीनस्थताक्षी अतिप्रताप  
यदुवेदी द्वारा प्रस्तुत।  
24.8.16

निगरानी विरुद्ध आज्ञा श्री राजस्व  
निरीक्षक मण्डल बघवार तहसील रामपुर  
नैकिन जिला सीधी (म0प्र0) बाबत्  
प्रकरण क्रमांक - (सीमांकन)  
20ए/12/15-16 आदेश दिनांक  
20/7/2016

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश  
भू0-राजस्व संहिता सन् 1959ई0।

मान्यवर,

अन्य के अतिरिक्त निगरानी के आधार निम्न है :-

1. यह कि अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक का सीमांकन की आदेश एवं कार्यवाही विधि एवं प्रकिया के विरुद्ध है।

*[Handwritten mark]*


*[Handwritten signature]*

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.S.374) II. 2016 ..... जिला सीधी

..... मुनीन्द्र प्रसाद शिवदी विरुद्ध सीता प्रसाद

1	2	3
15-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <del>सीता प्रसाद शिवदी</del> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त <del>प्रसाद</del> (तहसील रामपुर में फि.त. के प्रकरण क्रमांक 20/ए.12/15-16 ..... में पारित आदेश दिनांक 22-07-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। M0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <del>सीधी</del> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 25-03-19 को कलेक्टर <del>सीधी</del> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	 सदस्य

h